



2026:AHC-LKO:40344

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या०- 2241/2026

बुधपाल सिंह

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग शासन लखनऊ एवं अन्यविरोधी पक्षकार

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : अमित कुमार अवस्थी

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या० - 11

माननीय न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उन्होंने प्रार्थना पत्र के प्रार्थना खंड में उल्लिखित अनुतोष के साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत यह प्रार्थना पत्र दायर किया है।

2. प्रार्थना पत्र में उल्लिखित अनुतोष नीचे वर्णित है:-

"संलग्न शपथ पत्र में बताए गए तथ्यों और परिस्थितियों के लिए न्याय के हित में यह उचित और आवश्यक है कि यह माननीय न्यायालय, प्रत्यर्थी संख्या 2 को थाना पसगवां, जिला खीरी से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 525/2007, मुकदमा अपराध संख्या 540/2007, मुकदमा अपराध संख्या 66/2011, मुकदमा अपराध संख्या 174/2020 और मुकदमा अपराध संख्या 42/2007 से उत्पन्न

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पांच मामलों में दी गई सजा को साथ-साथ चलाने के लिए निर्देशित करने की कृपा करे, जिसमें प्रार्थी को न्याय के हित में प्ली बार्गेनिंग के तहत अपराध स्वीकार करने पर तीन मामलों में सजा सुनाई गई थी।

यह आगे अति विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा अधोरोपित अर्थदंड पर रोक लगाने की कृपा करे, जिसमें प्रार्थी को प्ली बार्गेनिंग के तहत अपराध स्वीकार करने पर तीन मामलों में सजा सुनाई गई थी।"

3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को सत्र विचारण संख्या 920/2008, उ०प्र० राज्य बनाम बुधपाल सिंह, जो कि मुकदमा अपराध संख्या 525/2007, धारा 307, 504 भारतीय दण्ड संहिता, थाना पसगवां, जिला खीरी से उत्पन्न हुआ है, में दोषसिद्ध किया गया था और दोषसिद्धि आदेश दिनांक 16.08.2022 के विरुद्ध प्रार्थी ने इस माननीय न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या 900/2023 (बुधपाल सिंह बनाम उ०प्र० राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह नागरिक सचि० लख०) योजित की थी। वह आगे कथन करते हैं कि इस माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 19.11.2025 के माध्यम से प्रार्थी को जमानत दी थी और उसके अनुपालन में प्रार्थी ने दो प्रतिभुओं के साथ 25,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया, तत्पश्चात संबंधित न्यायालय द्वारा रिहाई वारंट जारी किया गया और 24.02.2026 को जेल अधिकारियों को प्रेषित किया गया। हालांकि, प्रार्थी को इस आधार पर रिहा नहीं किया जा सका कि उसने शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 66/2011 से उत्पन्न वाद संख्या 74/2020 में और शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 42/2007 से उत्पन्न वाद संख्या 60/2020 में तथा आबकारी अधिनियम की धारा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

60 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 174/2020 से उत्पन्न वाद संख्या 125/2021 में विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 18.03.2023 के माध्यम से दी गई सभी सजाओं को पूरा नहीं किया था।

4. विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि उपर्युक्त तीनों मामलों में प्रार्थी को प्रत्येक मामले में 1,000/- रुपये के अर्थदंड के साथ दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, प्रार्थी 18.03.2023 से जेल में है और अब तक तीन वर्ष से अधिक का कारावास भुगत चुका है। फिर भी, जेल अधिकारी सजाओं को क्रमिक मान रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि प्रार्थी को 18.03.2023 से छह वर्ष का कारावास भुगतना होगा।
5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि धारा 427 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, प्रार्थी ने प्रत्येक मुकदमा अपराध संख्या और आपराधिक विचारण में दो वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसलिए प्रार्थी ने सभी सजाएं पूरी कर ली हैं। जहां तक अर्थदंड की धनराशि का प्रश्न है, अर्थदंड की कुल धनराशि 3,000/- रुपये है और प्रार्थी जेल से रिहा होने के एक माह के भीतर इसे जमा करने के लिए तैयार है।
6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विनय कुमार साही का कथन है कि विचारण न्यायालय का ऐसा कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है कि उपर्युक्त मामलों में दी गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी और इसलिए, जेल अधिकारियों ने प्रार्थी को रिहा नहीं किया है।
7. यह न्यायालय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत प्रदत्त अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 427 के प्रावधानों का ध्यान रखते हुए, प्रार्थी- बुधपाल सिंह को यह मानते हुए रिहा करता है कि प्रार्थी ने पूरी सजा काट ली है और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

भुगतें गए अत्यधिक कारावास के लिए किसी भी प्रतिकर के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई आगे दावा नहीं किया जाएगा, तथा प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है।

8. प्रार्थी अपनी रिहाई की तारीख से 30 दिनों के भीतर कुल 3,000/- रुपये की अर्थदंड राशि जमा करेगा।
9. जहां तक धारा 307, 504 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमा अपराध संख्या 525/2007 से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या 920/2008 का संबंध है, प्रार्थी पहले ही जमानत बंधपत्र और प्रतिभू प्रस्तुत कर चुका है और उसे उन धाराओं में भी रिहा किया जाएगा, लेकिन इसके संबंध में जो अपील लंबित है, उसे सूचीबद्ध किया जाएगा और उसके अपने गुण-दोष के आधार पर सुना जाएगा।
10. उपर्युक्त निर्देशों के साथ, प्रार्थना पत्र **निस्तारित** किया जाता है।
11. तदनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी, संबंधित जेल अधिकारियों को निर्देश देंगे कि वे शस्त्र अधिनियम के तहत दो मामलों और आबकारी अधिनियम के तहत एक मामले से संबंधित उपर्युक्त तीनों मामलों में प्रार्थी को तुरंत रिहा करें।

(न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि)

5 जून, 2026

के. तिवारी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।